

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि. 333.—केन्द्रीय सरकार, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (साधारण सेवा शर्तें) नियम, 1984 में, पुनः संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का नाम तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (साधारण सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2017 है।  
(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (साधारण सेवा शर्तें) नियम 1984, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी अर्थात् :-

"अनुसूची

क्रम सं.	पद का विवरण	वेतन मैट्रिक में लेवल	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	सचिव	अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (3) के अधीन सचिव की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी और उसका वेतन भी सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।	1
2.	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	लेवल-13 (रु. 118500-214100)	1
3.	उप मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी,	लेवल -12 (रु.78800-180500)	2

4.	प्रबंधक (संपदा)	लेवल -11 (रु. 0.67700-155300)	1
5.	प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन)	लेवल -11 (रु. 0.67700-155300)	1
6.	वरिष्ठ लेखा/ प्रशासनिक अधिकारी	लेवल -11 (रु. 0.67700-155300)	1
7.	हिन्दी अधिकारी	लेवल -10 (रु. 0.56100-128200)	1
8.	लेखा अधिकारी	लेवल - 8 (रु. 0. 47600-109100)	2
9.	अनुभाग अधिकारी	लेवल - 7 (रु. 0. 44900-102800)	3
10.	लेखाकार	लेवल - 7 (रु. 0. 44900-102800)	1
11.	आशुलिपिक समूह 'ख'	लेवल - 7 (रु. 0. 44900-102800)	4
12.	आशुलिपिक समूह 'ग'	लेवल - 6 (रु. 0. 35400-81200)	2
13.	सहायक	लेवल - 6 (रु. 0. 35400-81200)	2
14.	आशुलिपिक समूह 'घ'	लेवल - 4 (रु. 0. 25500-58500)	1
15.	अपर श्रेणी लिपिक	लेवल - 4 (रु. 0. 25500-58500)	2
16.	स्टाफ कार ड्राईवर (सलेक्शन ग्रेड)	लेवल - 4 (रु. 0. 25500-58500)	1
17.	अवर श्रेणी लिपिक	लेवल - 2 (रु. 0. 19900-45700)	3
18.	चपरासी	लेवल - 1 (रु. 0. 18000-41100)	1"

[फा.सं. जी-38011/80/2016-वित्त I]

पेरिन देवी, निदेशक

टिप्पणी : मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि.509(ई), दिनांक 12 जुलाई, 1984 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3 (i), में प्रकाशित हुए थे और इसके पश्चात् निम्न अधिसूचनाओं में संशोधित किए गए :-

- (i) सा.का.नि. 23 (ई), दिनांक 12 जनवरी, 1988;
- (ii) सा.का.नि. 24 (ई), दिनांक 13 जनवरी, 1988;
- (iii) सा.का.नि. 372 (ई), दिनांक 30 जून, 1998;

- (iv) सा.का.नि. 505 (ई), दिनांक 21 अगस्त, 1998;
- (v) सा.का.नि. 594 (ई), दिनांक 7 अगस्त, 2001;
- (vi) सा.का.नि. 792 (ई), दिनांक 30 सितम्बर, 2010.